ग्रामहित संस्था

का

स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम : ग्रामहित संस्था
2. संस्था का निबंधित कार्यालय : ग्राम- तोकिपुर, पो०- सुखजोड़ा, अंचल- रानेश्वर, जिला- दुमका, पिन नम्बर- 814101 झारखण्ड।
(कार्यालय परिवर्त्तन की सूचना निबंधन विभाग एवं अन्य संबंधित विभागीय को दे दी जाएगी।)
3. कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य।
4. संस्था का उद्देश्य :

(क) गाँव समाज के लोगों को व्याप्त निर्धनता, ऋणों से ग्रसित शोषण, अन्याय एवं अत्याचार से मुक्ति पाने हेतु जागृत एवं चल व अंचल सम्पत्ति की रक्षा करना। उन्हें आर्थिक विकास हेतु वैज्ञानिक तरीके से शिक्षा एवं कृषि की उन्नत तकनीक, उद्यान विकास, पशुपालन, मत्स्य पालन कुक्कट पालन, दुग्धोग, रेशम कीट पालन, खाद्यी-ग्रामोद्योग एवं कुटीर उद्योग और खास समूह का गठन करना तथा भूमि विकास एवं भूमि संरक्षण संबंधी कृषकों को जानकारी देना, जल एवं वन पर्यावरण ऊर्जा श्रोतों को संरक्षण के प्रति विकास हेतु जागृत करना। प्राकृतिक आपदा के समय उत्पीड़ित जन समुदाय को राउत प्रदान कराना।

गाँव समाज के लोगों को चिकित्सासा, जल एवं वन स्वच्छता के प्रति जागरूक करने हेतु आवश्यक शिक्षा उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों, चिकित्सा शिविर, टीकाकरण शिविर का आयोजन करना तथा असाध्य रोग एड्स, कुष्ठ, अंधापन, मलेरिया, टी.बी. आदि बीमारियों के बचाव हेतु जानकारी उपलब्ध कराना। महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों तथा मातृ एवं शिशु स्वस्थ हेतु आवश्यक जानकारी देना। समाज के कमजोर एवं पिछड़े वर्ग, निःसहाय, विकलांग एवं बाल श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजना एवं जीवनयापन के लिए संवैधानिक अधिकार के प्रति जागरूक कर सहयोग एवं आश्रम देना तथा ग्रामहित के प्रति स्थानीय स्वशासन संबंधी जानकारी देना।

(ग) लोगो को स्वरोजगार हेतु तकनीकी शिक्षा, सिलाई, कटाई, बुनाई, शिल्प कला, टंकण प्रशिक्षण कम्प्यूटर शिक्षा आदि की शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर व पिछड़े वर्ग के लोगों को समुचित शिक्षा की व्यवस्था करना जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। साहित्य, कला एवं संस्कृति तथा खेल-कूद एवं पर्यटन के प्रति प्रोत्साहित करना तथा समय-समय पर विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण कार्यक्रम, कर्मशाला आयोजित करना।

अध्यक्ष :

Mousami Kumari

President
Gramhit Sanstha

NOTARY M. M. Sah Regd. No. 232/10 GOVERNMENT OF JHARKHAND

Mahesh Mandal

Treasurer
Gramhit Sansthan

सचिव

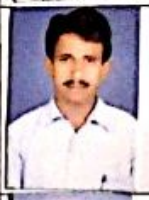
Naveen Kumar Modi

Secretary
Gramhit Sanstha
Dumka

Scanned by CamScanner

5. **संस्था की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का विवरण :-**

निम्नलिखित व्यक्ति जिनका पूरा नाम, पिता/पति का पूरा नाम, पूर्ण पता, उम्र, शैक्षणिक योग्यता, पेशा, पदनाम एवं हस्ताक्षर युक्त पासपोर्ट आकार का फोटो नीचे अंकित है, संस्था की वर्त्तमान नियमावली के अनुसार संस्था की कार्यकारिणी समिति के सदस्य है :-

| क्र.सं. | पूरा पता पिता/पति का नाम | पूर्ण पता मकान सं. /होल्डिंग नं. गली/रोड सं. मुहल्ला पोस्ट, थाना, शहर, जिला (मकान अपना/किराये का) | उम्र | शैक्षणिक योग्यता | पेशा | संस्था में पदनाम | स्वहस्ताक्षर युक्त पासपोर्ट आकार का फोटो |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | मौसमी कुमारी, पिता चित्तरंजन पिरी | ग्राम-कोदवाटांड़, पोस्ट-टी.टी.पी.एस. ललपनिया, जिला-बोकारो, झारखण्ड | 22 | स्नातक | समाज सेवी | अध्यक्ष |  |
| 2. | नोरेन कुमार मोदी पिता श्री किष्टो चन्द्र मोदी | ग्राम- रसिकपुर, पो०- दुमका प्रखण्ड- दुमका, जिला - दुमका झारखण्ड | 40 | बी.एस.सी. | समाज सेवी | सचिव |  |
| 3. | महेश मंडल पिता - लखीराम मंडल | ग्राम- रसिकपुर, पो०- दुमका प्रखण्ड- दुमका, जिला - दुमका झारखण्ड | 33 | मैट्रिक | समाज सेवी | कोषाध्यक्ष |  |
| 4. | सुरेश बास्की पिता छुतर बास्की | ग्राम-रेशमा, पोस्ट-आसनबनी, थाना-रानीश्वर, जिला-दुमका | 39 | स्नातक | समाज सेवी | सदस्य |  |
| 5. | श्रीनाथ हेम्ब्रम पिता मिशिर हेम्ब्रम | ग्राम-सिमलढाब, पोस्ट-पत्थरघाटा, जिला-पाकुड़, झारखण्ड | 39 | मैट्रिक | समाज सेवी | सदस्य |  |
| 6. | रामचन्द्र हाँसदा पिता चुण्डा हाँसदा | ग्राम-करमाटांड़, पोस्ट-बागनल, थाना-मसानजोर, जिला-दुमका, झारखण्ड | 46 | मैट्रिक | समाज सेवी | सदस्य |  |
| 7. | मिठुन साहा पिता मंगल साहा | ग्राम-चोरकट्टा, पोस्ट-आसनसोल, थाना-दुमका (मु0), जिला-दुमका | 32 | मैट्रिक | समाज सेवी | सदस्य |  |

Mousami Kumari
President
Gramhit Sanstha



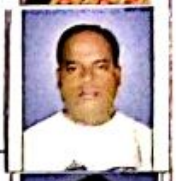
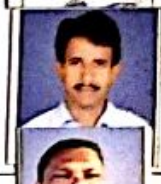
Ganesh Mandal
Treasurer
Gramhit Sansthan

Noren Kumar Modi
Secretary
Gramhit Sanstha
Dumka

Scanned by CamScanner

6. **आकांक्षी व्यक्तियों की सूची एवं विवरणी :-**

निम्नलिखित व्यक्ति जिनका पूरा नाम, पिता/पति का पूरा नाम, पूर्ण पता, उम्र, शैक्षणिक योग्यता, पेशा, पदनाम एवं हस्ताक्षर युक्त पासपोर्ट आकार का फोटो नीचे अंकित है, संस्था की निबंधन अधिनियम 21, 1860 के अन्तर्गत उस संस्था के निबंधन के आकांक्षी है :-

| क्र.सं. | पूरा पता पिता/पति का नाम | पूर्ण पता मकान सं./होल्डिंग नं. गली/रोड सं. मुहल्ला पोस्ट, थाना, शहर, जिला (मकान अपना/किराये का) | उम्र | शैक्षणिक योग्यता | पेशा | संस्था में पदनाम | स्वहस्ताक्षर युक्त पासपोर्ट आकार का फोटो |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | मौसमी कुमारी,<br>पिता चित्तरंजन पिरी | ग्राम-कोदवाटांड़, पोस्ट-टी.टी. पी.एस. ललपनिया, जिला-बोकारो, झारखण्ड | 22 | स्नातक | समाज सेवी | अध्यक्ष |  |
| 2. | नोरेन कुमार मोदी<br>पिता श्री किष्टो चन्द्र मोदी | ग्राम- रसिकपुर,<br>पो०- दुमका<br>प्रखण्ड- दुमका,<br>जिला - दुमका<br>झारखण्ड | 40 | बी.एस.सी. | समाज सेवी | सचिव |  |
| 3. | [illegible]देश मंडल<br>पिता - लखीराम मंडल | ग्राम- रसिकपुर,<br>पो०- दुमका<br>प्रखण्ड- दुमका,<br>जिला - दुमका<br>झारखण्ड | 33 | मैट्रिक | समाज सेवी | कोषाध्यक्ष |  |
| 4. | सुरेश बास्की<br>पिता छुतर बास्की | ग्राम-रेशमा, पोस्ट-आसनबनी, थाना-रानीश्वर, जिला-दुमका | 39 | स्नातक | समाज सेवी | सदस्य |  |
| 5. | श्रीनाथ हेम्ब्रम<br>पिता मिशिर हेम्ब्रम | ग्राम-सिमलढाब, पोस्ट-पत्थरघाटा, जिला-पाकुड़, झारखण्ड | 39 | मैट्रिक | समाज सेवी | सदस्य |  |
| 6. | रामचन्द्र हाँसदा<br>पिता चुण्डा हाँसदा | ग्राम-करमाटांड़, पोस्ट-बागनल, थाना-मसानजोर, जिला-दुमका, झारखण्ड | 46 | मैट्रिक | समाज सेवी | सदस्य |  |
| 7. | मिठुन साहा<br>पिता मंगल साहा | ग्राम-चोरकट्टा, पोस्ट-आसनसोल, थाना-दुमका (मु0), जिला-दुमका | 32 | मैट्रिक | समाज सेवी | सदस्य |  |

M. K. Sah Regn No 132 NOTARY GOVERNMENT OF JHARKHAND

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त व्यक्ति, जिनका फोटो ऊपर चिपका है तथा हस्ताक्षर ऊपर अंकित है मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया है।

अभिप्रमाणित
राजपत्रित पदाधिकारी (राज्य अथवा केन्द्रीय)
ऑफिसर्स/पब्लिक सर्वेन्ट के हस्ताधिकारी आदि
(नाम,पदनाम एवं हस्ताक्षर)

Mousami Kumari
President
Gramhit Sanstha



Treasurer
Gramhit Sansthan

Noren kumar Modi.
Secretary
Gramhit Sanstha
Dumka

Scanned by CamScanner

## ग्रामहित संस्था की नियमावली

परिभाषा

| | | | |
|---|---|---|---|
| (क) | संस्था से अभिप्राय | : | ग्रामहित संस्था |
| (ख) | समिति से अभिप्राय | : | संस्था की कार्यकारिणी समिति। |
| (ग) | वित्तीय वर्ष | : | 01 अप्रैल से 31 मार्च |
| (घ) | आम सभा से अभिप्राय | : | संस्था के सभी सदस्यों से बनी सभा। |
| (ङ) | पदाधिकारी से अभिप्राय | : | अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष |
| (च) | अधिनियम से अभिप्राय | : | संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 |

**संस्था की सदस्यता की शर्त :-**

प्रत्येक भारतीय नागरिक जिनकी उम्र- 18 वर्ष से अधिक की हो, जो इस संस्था के नियम एवं उद्देश्य का [illegible] पालन करते हो तथा इसके कार्यों में अभिरूचि रखते हो, इस संस्था के सदस्य बन सकते है। सदस्यता प्राप्ति हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रदान की जायेगी। प्रत्येक सदस्य को 51/- रूपये प्रवेश शुल्क एवं 11/- रूपये मासिक शुल्क देना अनिवार्य होगा। कार्यकारिणी समिति शुल्क में परिवर्त्तन कर सकती है।

3. **संस्था की सदस्यता की समाप्ति :-**

निम्नलिखित अवस्था में सदस्यों की सदस्यता समाप्त मानी जायेगी :-

(क) स्वयं त्याग पत्र देने पर।

(ख) पागल या दिवालिया घोषित होने पर।

(ग) मृत्यु होने पर

(घ) समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर।

(ङ) सदस्यता शुल्क नहीं देने पर

(च) संस्था की बैठक में लगातार तीन बार अनुपस्थित होने पर।

(छ) न्यायालय द्वारा किसी अपराधिक मामले में दण्डित होने पर।

(ज) संस्था के नियमों एवं उद्देश्यों के विपरीत आचरण करने पर।



M. K. Sah Regn No 132

Mousami Kumari
President
Gramhit Sanstha

Treasurer
Gramhit Sansthan

Noven kuman Modi
Secretary
Gramhit Sanstha
Dumka

Scanned by CamScanner

4. **कार्यकारिणी समिति का गठन :-**

(क) संस्था की कार्यकारिणी समिति में पदाधिकारियों सहित कुल 7 (सात) सदस्य होंगे।

(ख) कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल 3 (तीन) वर्षों की होगी।

(ग) कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव आम सभा द्वारा होगा। निवृत सदस्य पुनः चुने जा सकते हैं।

5. **कार्यकारिणी समिति का कार्य एवं अधिकार :-**

(क) संस्था के कार्यों एवं योजनाओं पर निगरानी रखना एवं संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपेक्षित निर्देश देना।

(ख) संस्था के चल या अचल सम्पत्ति के लिए उत्तरदायी होना।

(ग) संस्था के सभी कार्यों का सम्पादन विधिवत् करना और प्रस्ताव पारित करना एवं आवश्यकतानुसार उपसमिति का गठन करना।

संस्था के विरूद्ध आचरण करने वाले या अनैतिक कार्य करने वाले सदस्यों के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना।

आम सभा की बैठक की तिथि, स्थान एवं कार्यावली निर्धारित करना।

(च) संस्था की योजना एवं बजट तैयार एवं पारित कर आमसभा के समक्ष रखना।

(छ) संस्था के स्मृति पत्र एवं नियमावली में संशोधन एवं संस्था के विपटन के सम्बन्ध में अपनी अनुशंसा आमसभा के पास भेजना।

(ज) उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना।

(झ) आम सभा द्वारा पारित प्रस्तावों को कार्यरूप देना।

(ञ) यदि कार्यकाल पूरा करने के पूर्व किसी कारणवश समिति में कोई पद रिक्त होगा तो कार्यकारिणी समिति उक्त पद पर किसी व्यक्ति को मनोनित कर सकती है। लेकिन आमसभा की वार्षिक बैठक में उसे विधिवत् पारित कराना होगा। मनोनित सदस्य उसी पद के अनुरूप करेंगे जिस पद के लिए उनका मनोनयन किया गया है।

NOTARY M. K. Sah Regn No GOVERNMENT OF JHARKHAND

(ट) संस्था में बहुमत के आधार पर किसी भी सदस्य/पदाधिकारी को उसके सदस्यता/पद से हटाया जा सकते है।



Mousami kumari
**President**
**Gramhit Sanstha**

**Treasurer**
**Gramhit Sansthan**

Navenkumar Modi
**Secretary**
**Gramhit Sanstha**
**Dumka**

Scanned by CamScanner

7. **आमसभा का कार्य एवं अधिकार :-**

(क) कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन करना।

(ख) संस्था की योजना, बजट, अंकेक्षित लेखा एवं प्रगति प्रतिवेदन को पारित करना।

(ग) संस्था की लेखा के अंकेक्षण हेतु आम सभा के 3/5 सदस्यों की सहमति से अंकेक्षक की नियुक्ति करना।

(घ) संस्था के स्मृति पत्र एवं नियमावली में संशोधन लाना।

(ङ) संस्था के विघटन पर निर्णय लेना।

(च) अध्यक्ष की राय से अन्य विषयों पर विचार करना।

(छ) संस्था के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन को पारित करना।

8. **आमसभा की बैठकें :-**

(क) आमसभा की वार्षिक वर्ष में एक बार होगी तथा आमसभा की विशेष बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।

आमसभा के 1/3 सदस्यों के लिखित मांग, जिसमें अधियाचना करने वाले सदस्यों का हस्ताक्षर एवं बैठक में विचारणीय बिन्दु का स्पष्ट उल्लेख रहेगा, पर अधियाचना प्राप्ति के 30 (तीस) दिनों के भीतर संस्था के सचिव को आमसभा की बैठक बुलानी होगी। यदि तीस दिनों के भीतर संस्था के सचिव द्वारा बैठक नहीं बुलाई जायेगी। तक अधियाचना करने वाले सदस्यों को अधिकार होगा कि आमसभा के सभी सदस्यों को सूचना भेजकर आमसभा की अधियाचित बैठक में अधियाचना में अंकित पर निर्णय ले सकते हैं।

NOTARY M. K. Sah Regn No 132 GOVERNMENT OF JHARKHAND

कोरम : आमसभा की सभी बैठकों के लिए कोरम कुल सदस्य संख्या के आधे से एक अधिक होगी (50% +1)

(घ) बैठक की सूचना :

(i) आमसभा की सभी बैठकों के लिए सूचना बैठक की तिथि से कम से कम दस दिन पूर्व दी जायेगी।

(ii) बैठक की सूचना निबंधित डाक या सूचनाबही में हस्ताक्षर प्राप्त करके दी जायेगी।



Mousami Kumari
**President**
**Gramhit Sanstha**

**Treasurer**
**Gramhit Sansthan**

Naveenkumar Modi
**Secretary**
**Gramhit Sanstha**
**Dumka**

Scanned by CamScanner

9. **कार्यकारिणी समिति का बैठकें :-**

(क) कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक माह होगी, जिसकी सूचना कम -से-कम सात दिन पूर्व दी जायेगी। बैठक में भाग लेना सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य है।

(ख) आवश्यकता पड़ने पर बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है, जिसकी सूचना कम-से-कम 48 घंटे पूर्व दी जायेगी।

(ग) सूचना डाक द्वारा या सूचनाबही पर हस्ताक्षर प्राप्त कर या विशेष दूत के द्वारा दी जायेगी।

10. **आय का स्त्रोत :-**

(क) सदस्यों का प्रवेश शुल्क एवं सदस्यता शुल्क।

(ख) सरकारी एवं गैर-सरकारी अनुदान।

(ग) विशेष शुल्क एवं दान।

(घ) सांस्कृतिक कार्यक्रम के सहयोगी राशि द्वारा।

11. **कोष की व्यवस्था/बैंक खाते का संचालन :-**

संस्था को प्राप्त होने वाली सभी राशियों संस्था के नाम किसी राष्ट्रीयता बैंक/डाकघर में खुले खाते में रखी जायेगी तथा किसी भी रकम की निकासी संस्था के कोषाध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायेगी।

12. **अंकेक्षण :-**

(क) संस्था की लेखा का संधारण नियमित रूप से रखा जाएगा तथा प्रत्येक वर्ष आमसभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से उसका अंकेक्षण कराया जाएगा।

(ख) निबंधन महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची जब भी चाहें संस्था की लेखा का अंकेक्षण किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से करा सकते हैं, जिसका शुल्क संस्था द्वारा वहन किया जाएगा।

13. **कानूनी कार्रवाई :-**

संस्था द्वारा या संस्था के विरूद्ध कोई भी कानूनी कार्रवाई संस्था के सचिव के पदनाम से होगी।

14. पंजी का निरीक्षण :-

संस्था की सभी पंजियाँ संस्था के निबंधित कार्यालय में संस्था के सचिव के जिम्मे रहेगी, जहाँ कोई भी सदस्य/सरकारी अधिकारी सचिव की पूर्व अनुमति से उसका निरीक्षण कर सकते हैं।



Mousami Kumari
President
Gramhit Sanstha

Mahesh Mandal
Treasurer
Gramhit Sansthan

Naveen Kumar Modi
Secretary
Gramhit Sanstha
Dumka

Scanned by CamScanner

संस्था के स्मृति पत्र एवं नियमावली में कोई भी संशोधन संस्था की आमसभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जाएगा तथा संस्था निबंधन अधिनियम- 21, 1860 की संगत धारा एवं झारखण्ड संस्था नियमावली के संगत नियम का पूर्णतः पालन किया जाएगा।

15. संस्था का विघटन एवं विघटनोपरान्त सम्पत्ति की व्यवस्था :-

(क) यदि किसी कारणवश संस्था का विघटन करने की आवश्यकता कार्यकारिणी समिति द्वारा समझी जायेगी तब कार्यकारिणी समिति तत्संबंधी प्रस्ताव पारित कर उसे आमसभा की विशेष बैठक में रखेगा। आमसभा के 3/5 सदस्यों के बहुमत से ही संस्था के विघटन पर निर्णय लिया जाएगा तथा उसे पुनः आमसभा की दूसरी विशेष बैठक के 3/5 बहुमत से सम्पुष्ट कराने के बाद ही संस्था विघटित होगी।

विघटन के बाद संस्था के सभी दायित्वों के सामंजन के बाद संस्था की जो भी सम्पत्ति शेष रहेगी, वह संस्था के किसी सदस्य या बाह्य व्यक्ति को नहीं दी जाएगी, बल्कि आमसभा के 3/5 सदस्यों के बहुमत से समान उद्देश्य वाली झारखण्ड राज्य में निबंधित किसी संस्था या झारखण्ड सरकार को दे दी जायेगी।

(ग) संस्था के विघटन के समय निबंधन अधिनियम 21, 1860 की धारा- 13 एवं .14 पूर्णतः पालन किया जाएगा।

प्रमाणित किया जाता है कि यह संस्था के नियमावली की सच्ची प्रति है।

NOTARY M. K. Sah Regn No 132 GOVERNMENT OF JHARKHAND

Mousami Kumari
President
Gramhit Sanstha

Treasurer
Gramhit Sansthan

Secretary
Gramhit Sanstha
Dumka



Scanned by CamScanner

№ 006351

# संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

( ऐक्ट 21. 1860 )

संख्या 791

वर्ष 2009 - 2010

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि ग्रामहित संस्था

.....

.....

.....

O/C

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई ।

आज तारीख ११ मास जनवरी वर्ष दो हजार १० को राँची में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया ।

वास्ते, महानिरीक्षक, निबन्धन, झारखण्ड, राँची ।

गोवर्नमेन्ट प्रेस, रांची ।